कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा जिला डूंगरपुर (राज.)

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री दिपेन्द्रसिंह राठौर (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी, सागवाडा, जिला डूंगरपुर (राज.)

प्रकरण संख्या :– 89/2012

दायर दिनांकः– 06/11/2012
निर्णय दिनांकः– 17/11/2015

1– श्री रुपसी पिता हुरजी खांट मीणा आयु 50 वर्ष निवासी भैसरा बडा तहसील सागवाडा जिला डूंगरपुर राज.।

–वादी–

बनाम

1– श्री पूजा पिता अमरा मीणा रोत निवासी भेसरा बडा तहसील सागवाडा जिला डूंगरपुर ।
2– श्री दूबल पिता कालीया रोत निवासी भेसरा बडा तहसील सागवाडा जिला डूंगरपुर ।
3– श्री भीखा पिता सोमा रोत मीणा निवासी भेसरा बडा तहसील सागवाडा जिला डूंगरपुर ।
4– श्री भगु पिता सोमा रोत मीणा निवासी भेसरा बडा तहसील सागवाडा जिला डूंगरपुर ।
5– श्री कमजी पिता सोमा रोत मीणा निवासी भेसरा बडा तहसील सागवाडा जिला डूंगरपुर ।
6– श्री राजेग पिता सोमा रोत मीणा निवासी भेसरा बडा तहसील सागवाडा जिला डूंगरपुर ।
7– श्री मोहन पिता देवशंकर रोत मीणा निवासी भेसरा बडा तहसील सागवाडा जिला डूंगरपुर।
8– श्री हाजुद पिता देवशंकर रोत मीणा निवासी भेसरा बडा तहसील सागवाडा जिला डूंगरपुर
9– श्री भूमिधारी तहसीलदार सागवाडा जिला डूंगरपुर ।

–प्रतिवादीगण–

वाद बाबत स्थाई अन्तर्गत धारा 188 .रा.टी.एक्ट 1955।

वादी के वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वाद एवं प्रतिवादीगण गांव भसरा बडा के रहने वाले है वादी रुपसी के खाते की कृषि आराजी मौजा भैसरा बडा मे स्थित होकर निम्न रकबा खाते एवं केस दर्ज है

खसरा नम्बर	रकबा
1516	3.08

खसरा नम्बर 1516 से प्रतिवादी न.1 से 8 तक का कोई सम्बन्ध नही है फिर भी अकारण वादी की आराजी प्रतिवादीगण छीन लेना चाहते है वादी को आराजी पर से बेदखल कर देना चाहते है अतः प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वादी की आराजी में प्रवेश नही करे तथा बेदखल नही करे तथा काश्त मे रुंकावट उत्पन्न नही करे । प्रतिवादी अभी दो वर्ष हुए बुवाई मे वक्त जबरन भूमि पर प्रवेश कर लेने का नाजायज प्रयत्न किया वादी ने उसे आराजी पर जाने से रोका तो प्रतिवादीगण ने वादी एवं वादी के पुत्रो के साथ मारपीट प्रारम्भ कर दी इस बाबत् फौजदारी मुकदमा भी दर्ज कराना पडा । वाद कारण प्रतिवादीगण द्वारा वादी की भूमि पर आकर झगडा करने से तथा बेदखल करने की धमकी देने से उत्पन्न हुआ तथा निरन्तर उत्पन्न हो रहा है अतः वादी के पक्ष मे तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 8 के विरुद्ध इस आशय की डिगरी पारित की जावे कि मौजा भैसरा बडा के खसरा नम्बर 1516 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा भूमिवादी की खातेदारी एवं कस्बे की है प्रतिवादीगण काश्त को रुकावट नही करे बेदखल नही करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे ।

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

उपरोक्तानुसार वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किया गया । प्रतिवादीगण की और से जवाब प्रस्तुत किया कि खसरा नम्बर 1516 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा मौजा भैसरा बडा की भूमि का वादी रुपसी एक मात्र खातेदार नही है न ही उसका इस जमीन पर कभी भी कब्जा रहा है वादग्रस्त उक्त खसरा नम्बर 1516 के समस्त खातेदारो की ओर से वाद नही लाया गया है जिससे उक्त वाद चल नही सकता है अन्य खातेदार की वाद के आवश्यक पक्षकार है खसरा नम्बर 1516 की भूमि पर प्रतिवादीगण संख्या 1 से 8 का विगत चालीस वर्ष से अधिक समय से कब्जा चला आ रहा है । प्रतिवादीगण कर कब्जा चला आने से वादी को बेदखल करने का सवाल नही उठता है गलती से उक्त आराजी वादी एवं अन्य खातेदारो के नाम चढ गई है जिसका फायदा उठाकर वादी नाजायज तरीके से प्रतिवादीगण संख्या 1 से 8 को उनके कस्बे की भूमि से बेदखल करना चाहता है वादी किसी प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 8 के विरुद्ध जारी नही करा सकता है वादी का कोई वाद कारण उत्पन्न नही होता है एवं मौके पर उसका कब्जा नही होने से बेदखल करने की धमकी देने की बात भी गलत लिखी गई है जो किसी प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 8 के विरुद्ध जारी कराने का हक नही है वादग्रस्त आराजी पर वादी का कब्जा नही होने से प्रतिवादीगण संख्या 1 से 8 के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है । प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत जवाब से मजीद अर्ज में बतलाया कि मौजा भेसरा बडा के खसरा नम्बर 1516 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा के स्थाई निषेधाज्ञा का एक वादी एवं उसके अन्य सह खातेदारो द्वारा मुकदमा नम्बर 62/98 राजस्व न्यायालय में प्रस्तुत किया था जो खारिज हुआ है उसके बाद उन्ही कारणो के आधार पर वादी द्वारा यह वाद प्रस्तुत किया गया है वादी द्वारा अकेले ही यह दावा लाया गया है जब कि खसरा नम्बर 1516 के अन्य सहखातेदार और भी है। जिन्हे इस वाद मे पक्षकार नही बनाया गया है न ही उनकी तरफ से यह वाद लाया गया है जिससे यह वाद चलने योग्य नही है प्रतिवादीगण 1 से 8 का कब्जा उक्त आराजी पर चालीस वर्ष से अधिक समय से निरन्तर एवं शान्ति पूर्वक चला आ रहा है उन्होने इस भूमि पर सुधार कार्य कर इसे उपजाउ बनाय गया है जिससे उनका कब्जा मुखालफाना है प्रतिवादी संख्या 1 से 8 को मौजा भेसरा बडा के खसरा नम्बर 1516 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा का खातेदार घोषित करना फरमावे ।

उपरोक्तानुसार जवाब प्रस्तुत होने पर नियमानुसार तनकी बात कायम की गई ।

1– आया वाद भूमि ख.न. 1516 वादी की खातेदारी तथा कब्जे की भूमि है जिसके सम्बन्ध मे वह प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द कराने का हकदार है

वादी

2– आया वाद भूमि के अन्य खातेदारो को पक्षकार नही बनाये जाने से दावा चलने योग्य नही है।

प्रतिवादी

3– आया वाद भूमि पर विगत 40 वर्षो मे प्रतिवादीगण का कब्जा मुखालफाना होने से वाद भूमि अपने नाम दर्ज कराने के हकदार है।

4– दादरजी

प्रतिवादी

तनकीपात कायम कर पक्षकारान की शहादत ली गई , वादी की ओर से वादी स्वयं के बयान किये गये वादी मे अपने बयान में जमीन भैसरा मे स्थित होना एवं जमीन 3.10 तीन बीघा दस बिस्वा होना बतलाया । जमीन पहले पिता कमाते थे एवं उनके मरने के बाद दोनो भाई कमाते है खाते की नकल संवत् 2056 से 2057 Ex P 1 , खसरा गिरदावरी Ex2

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

होना एवं खाते मे स्वयं का एवं भाई विरजी वगैरा का खाता होकर 3.10 भूमि के छः टुकडे होना बतलाया । इस जमीन पर खेती करने देना बतलया । प्रतिवादी द्वारा वादग्रस्त भूमि पर कभी काश्त नही करना । एवं प्रतिवादी का इस भूमि पर कोई अधिकार नही होना बतलाया ।

प्रतिवादी की ओर से प्रतिवादी पूजा पिता अमरा रोत मीणा निवासी भैसरा बडा एवं कान्ति पिता सोमा डेण्डोर मीणा निवासी भैसरा बडा का शपथ पत्र प्रस्तुत किया । श्री पूजा पिता अमरा ने शपथ प्रस्तुत कर बतलाया कि भैसरा बडा के ख.न. 1516 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा भूमि की वादी रुपसी अकेला खातेदार नही है न ही उसका इस जमीन पर कभी **कब्जा** रहा है वादग्रस्त जमीन के अन्य खातेदार भी है जिनके द्वारा यह दावा नही लाया गया है वादग्रस्त भूमि पर विगत 40 वर्षो से अधिक वर्ष से निरन्तर कब्जा चला आ रहा है गलती से जमीन वादी एवं अन्य खातेदारो के नाम दर्ज हो गई है जिसका फायदा उठाकर वे बेदखल करना चाहते है वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादीगण 1 से 8 का निरन्तर बिना किसी रुकावट के 40 दो वर्ष पूर्व की बात कहकर यह झुठा मुकदमा किया गया है वादी का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा करना नही होने से वह किसी प्रकार स्थाई निषेधाज्ञा जारी नही करा सकता है वादग्रस्त आराजी ख.स. 1516 का एक वाद वादी एवं उसके अन्य सहखातेदारो के द्वारा पूर्व मे इस न्यायालय मे मुकदमा नम्बर 62/98 राजस्व प्रस्तुत किया था जो खारिज हुआ है उस वाद मे दर्शाये गये उन्ही कारणो पर वादी के द्वारा वाद प्रस्तुत किया गया है वादग्रस्त भूमि संवत् 2015 के सेटलमेन्ट के पूर्व मे खसरा नम्बर 902 होकर सारी भूमि बिलानाम की लेकिन धोखे सेवादी ने राजस्व रेकार्ड मे इसे अपने नाम करवा ली एवं 1516 की रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा जमीन पर हमारा चालीस वर्ष से अधिक पुराना कब्जा **मुखालफाना** होने से हमे वादी एवं उसके सह खातेदारो का नाम राजस्व रेकार्ड से हटाकर उक्त आराजी का खातेदार धोषित करना आवश्यक है पूर्व के प्रकरण की प्रोसिडिंग नकल प्रदर्श D 6 एवं पूर्व वाद पत्र की प्रदर्श D 1 एवं **वीरजी** का बयान प्रदर्श D 2 उपतहसीलदार का पत्र प्रदर्श D 4 , पर्चा मौका प्रदर्श D 3 गलाबी का प्रार्थना पत्र प्रदर्श D 5 होकर बतलाया । जीरह मे ख.स. 1516 का खातेदार वादी रुपसी के अलावा खेमा पिता रुपा सहखोतदार होना बतलाया । अभी जिसके नाम खाते से चल रहा है पता नही होकर ख.स. 1516 का खाता अपने नाम है या नही पता नही होना अपना कब्जा चालीस वर्ष से उपर का होनो बतलाया अपने पहले पिताजी एवं उनके पिताजी **खाता** एवं ख.न. 1516 पहले किसके खाते मे था पता नही होना बतलाया । इस दावे के पहले मुकदमा नम्बर 62/98 वादी रुपसी ने पेश किया था उस मुकदमे का क्या हुआ पता नही होना बताया। पिता द्वारा उस मुकदमे को लडना बतलाया। वादग्रस्त भूमि पर अपना ही कब्जा होना बतलाया ।

प्रतिवादी के गवाह कान्ति पिता सोमा डेण्डोर मीणा निवासी भेसरा बडा ने शपथ पत्र प्रस्तुत कर बतलाया कि मौजा भैसरा बडा के खसरा नम्बर 1516 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा का वादी रुपसी अकेला खातेदार नही हैं न ही इसका उस जमीन पर कभी कब्जा रहा है वादग्रस्त भूमि के आप खातेदार भी है।

वादग्रस्त खसरा नम्बर 1516 की भूमि पर विगत 40 वर्षो से अधिक समय से पूजा वगैरा प्रतिवादीगण का निरन्तर करना चला आना एवं इस आरजी पर वादी या अन्य सहखातेदारो का कब्जा नही रहना बतलाया । जीरह मे बतलाया कि जमीन का खसरा नम्बर क्या है मुझे पता नही है क्योकि मै पढा लिखा नही हूँ मैने अपने बयान पढे नही है जमीन कितना बीघा है पता नही मेरी उम्र 45 वर्ष की है जमीन किसके खाते है मुझे पता नही है रुपसी व वेलजी भाई है मैने वीरजी को कभी कमाते देखा नही है।

उपखण्ड अधिकारी
सागवाड़ा

Scanned by CamScanner

उपरोक्तानुसार गवाहान के बयान होने के पश्चात वकील पक्षकारान की बहस समायत की गई । तनकीवार निर्णय निम्नानुसार है –

1– तनकी सं. 01 – आया वाद भूमि ख.न. 1516 वादी की खातेदारी तथा कब्जे की भूमि है जिसके सम्बन्ध मे वह प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का हकदार है –

निर्णय – वादी द्वारा अपने साक्ष्य मे जमाबन्दी खतौनी संवत् 2056 –2059 खांता संख्या 99 खसरा सं. 1516 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा की प्रतिलिपि प्रस्तुत की है जिसमे वादग्रस्त आरजी वादी रुपसी व उसके भाई – बहन वीरजी, मोगी, अमृत , रसी , इटली , शारदा, व भूरी के खातेदारी दर्ज है। खसरा गिरदावरी संवत् 2059 मौजा भैसरा बडा मे की वादग्रस्त आराजी वादी एवं उक्त भाई – बहनो के नाम दर्ज है। प्रतिवादीगण द्वारा अपने जवाब दावे मे कथन दिया है कि वाद मे अन्य खातेदारो को पक्षकार नही बनाने से वाद चलने योग्य नही है। प्रतिवादी द्वारा मु.न. 62/98 की नकल प्रस्तुत की है जो वादग्रस्त आराजी के खातेदारो द्वारा किया गया था तथा प्रतिवादीगण भी वर्तमान प्रतिवादीगण अथवा उनके वारिसान के समस्त उक्तवाद अदम पैरवी अदम हाजिरी मे खारिज हुआ था । वाद के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादी के विरुद्ध जारी की गई थी परन्तु मूलवाद खारिज कर दिया गया था । वादीगण द्वारा उसी आराजी का पुनः वाद प्रस्तुत किया है। वादी वादग्रस्त आराजी का सहखातेदार अवश्य है परन्तु शेष सह खातेदार पक्षकार नही बनाए गए है। प्रस्तुत साक्ष्य से रिकार्डेड खातेदार होना स्पष्ट है परन्तु पक्षकारो के असयोजन एवं कब्जे का पुख्ता प्रमाण न होने से तनकी का निर्णय **बहक** प्रतिवादी विरुद्ध वादी किया जाता है।

2– तनकी सं. 2 :– आया वाद भूमि के अन्य खातेदारो को पक्षकार नही बनाए जाने से चलने को पक्षकार नही बनाए जाने से चलने योग्य नही है जिम्मे प्रतिवादीगण

निर्णय :– वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य मे जमाबन्दी खतौनी संवत् 2056 – 2059 खाता संख्या 99 खसरा संख्या 1516 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा की प्रतिलिपि प्रस्तुत की है जिसमे वादी के अलावा 07 अन्य खातेदार है , परन्तु वादी द्वारा सम्पूर्ण आराजी के सम्बन्ध मे वाद दायर किया गया है। वाद मे पक्षकारो का संयोजन नही है अतः तनकी का निर्णय बहक प्रतिवादी विरुद्ध वादी किया जाता है।

तनकी सं. 03 – आया वाद भूमि पर विगत 40 वर्षो से प्रतिवादीगण का कब्जा मुखालफाना होने से वाद भूमि अपने नाम दर्ज कराने के हकदार है – जिम्मे प्रतिवादीगण

निर्णय :– प्रतिवादीगण द्वारा 40 वर्षो से वादग्रस्त भूमि पर कब्जा होने का दावा किया गया है परन्तु प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है जिससे उनका 40 वर्षो से मुखालफाना कब्जा होना सिद्ध होता है अत प्रतिवादीगण को खातेदारी अधिकार दिया जाना संभव नही है। अतः वाद का निर्णय बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण किया जाता है।

दादरसी :– उपरोक्त तनकीवार विवेचन पश्चात वाद वादी खारिज किया जाना है निर्णय सरे इजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम है।

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner